न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— अशोक कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 01/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/01

वादी	बनाम	प्रतिवादी
नारायणसिंह उर्फ पृथ्वीसिंह पुत्र सूरजदान जाति चारण निवासी कोडूका तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.सुमेरदान पुत्र सूरजदान 2.महिपालसिंह पुत्र सूरजदान 3.भंवरकंवर पत्नि सूरजदान जाति चारण निवासी कोडूका तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थिति—</u>

1. श्री प्रेमराज पंवार अधिवक्ता वादी
2. श्री महावीर जीनगर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित
3. प्रतिवादी संख्या 05 अनुपस्थित।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

:—निर्णय:—

दिनांक 27/10/2025

1.संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम कोडूका तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 287/23,288/23,294/40 व 297/98 कुल क्षेत्रफल 10.2709 हैक्टयर व खसरा संख्या 320/32 व 323/34 कुल क्षेत्रफल 4.0145 हैक्टयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सह—खातेदारी में अवस्थित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पति सूरजदान का देहान्त होने पर फौतदगी नामान्तकरण भरने के समय वादी को घरेलू बोलचाल भाषा में पृथ्वीसिंह नाम से पुकारने के कारण वादग्रस्त भूमि मे अशुद्व नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का वास्तविक नाम नारायणसिंह दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि मे अशुद्व प्रविष्टि के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में दायर अशुद्व प्रविष्टि पृथ्वीसिंह पुत्र सूरजदान के स्थान पर सही नाम नारायणसिंह इन्द्राज करवानें हेतु वाद—पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.वादी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया। प्रतिवादी के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर जीनगर द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा वादी के वाद–पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश कर वादग्रस्त भूमि में वादी का अशुद्व नाम पृथ्वीसिंह के स्थान पर नारायणसिंह दुरूस्त किए जाने पर सहमति दी गई।

3.प्रतिवादी की ओर से इकबाली जवाब पेश किए जाने के कारण विवाद के विन्दु निहित नहीं होने के कारण वादी के वाद–पत्र में वांछित अनुतोष को ही तनकीयात मानी गई। वादी साक्ष्य में स्वंय वादी नारायणसिंह द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया। दस्तोवजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 8 प्रदर्शित करवाए गए।

4.उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम कोडूका तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 287/23, 288/23, 294/40 व 297/98 कुल क्षेत्रफल 10.2709 हैक्टयर व खसरा संख्या 320/32 व 323/34 कुल क्षेत्रफल 4.0145 हैक्टयर अवस्थित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पति सूरजदान का देहान्त होने पर फौतदगी नामान्तकरण भरने के समय वादी को घरेलू बोलचाल भाषा में पृथ्वीसिंह नाम से पुकारने के कारण वादग्रस्त भूमि मे अशुद्व नाम दर्ज कर दिया गया,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में वादी का वास्तविक नारायणसिंह दर्ज है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादी का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादी का वास्तविक नाम नारायणसिंह के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम पृथ्वीसिंह के स्थान पर नारायणसिंह इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

5.प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जरिए अधिवक्ता इकबाली जवाब पेश किया गया था,जिसमे स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि मे वादी का अशुद्व नाम दर्ज हो रखा है,जबकि वास्तविक नाम नारायणसिंह है,जो नाम दुरूस्ती किया जाता है,तो प्रतिवादी को आपति नहीं है।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम कोडूका तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 287/23, 288/23, 294/40 व 297/98 कुल क्षेत्रफल

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

10.2709 हैक्टयर व खसरा संख्या 320/32 व 323/34 कुल क्षेत्रफल 4.0145 हैक्टयर अवस्थित है,जिसमें वादी का अशुद्व नाम इन्द्राज होना बताया है। जबकि सरकारी दस्तावेज प्रदर्श 5 ए–टी.सी. रा.मा.वि.पाटोदी,प्रदर्श 6ए–वोटर कार्ड प्रति,प्रदर्श 7ए–जन आधार कार्ड व प्रदर्श 8ए–आधार कार्ड प्रति में वादी का नाम नारायणसिंह अंकन है। इसी तरह प्रदर्श 3–ग्राम पंचायत भाखरसर पंचायत समिति पाटोदी द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमाक बी.एच. ए/25/2025 दिनांक 23.6.2025 के अनुसार पृथ्वीसिंह व नारायणसिंह एक ही व्यक्ति है,वास्तविक नाम नारायणसिंह होना उल्लेखित किया है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए वादी का वादग्रस्त भूमि मे अशुद्व नाम प्रविष्टि पृथ्वीसिंह के स्थान पर नारायणसिंह किए जाने की सहमति प्रदान की गई है। इससे प्रमाणित होता है कि वादी का वादग्रस्त भूमि में अशुद्व प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो वादी दुरूस्ती करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत मे वादी अपना वाद–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादी वादग्रस्त भूमि में अपना अशुद्व नाम पृथ्वीसिंह के स्थान पर नारायणसिंह उर्फ पृथ्वीसिंह करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:निर्णयः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–कोडूका तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 287/23, 288/23, 294/40 व 297/98 कुल क्षेत्रफल 10.2709 हैक्टयर व खसरा संख्या 320/32 व 323/34 कुल क्षेत्रफल 4.0145 हैक्टयर में वादी का अशुद्व नाम प्रविष्टि पृथ्वीसिंह पुत्र सूरजदान के स्थान पर नारायणसिंह उर्फ पृथ्वीसिंह पुत्र सूरजदान दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

27/10/2025
(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

27/10/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 01/2025

जीसीएनएस. नम्बर :– 2025/01

वादी	बनाम	प्रतिवादी
नारायणसिंह उर्फ पृथ्वीसिंह पुत्र सूरजदान जाति चारण निवासी कोडूका तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.सुमेरदान पुत्र सूरजदान 2.महिपालसिंह पुत्र सूरजदान 3.भंवरकंवर पत्नि सूरजदान जाति चारण निवासी कोडूका तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

राजस्व वाद बाबत:–88 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :–27.10.2025

वादी की ओर से श्री प्रेमराज पंवार अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री महावीर जीनगर अधिवक्ता की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 4 अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 27.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–वादी का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कोडूका तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 287/23, 288/23, 294/40 व 297/93 कुल क्षेत्रफल 10.2709 हैक्टयर व खसरा संख्या 320/32 व 323/34 कुल क्षेत्रफल 4.0145 हैक्टयर में वादी का अशुद्व नाम प्रविष्टि पृथ्वीसिंह पुत्र सूरजदान के स्थान पर नारायणसिंह उर्फ पृथ्वीसिंह पुत्र सूरजदान दुरुस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है,शेष बदुस्तर रहेंगा। डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 27.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 108/2025
नारायणसिंह उर्फ पृथ्वीसिंह बनाम सुमेरखान वगैरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	–	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा